न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 140 / 2025

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती करमजीत कौर पत्नी श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. श्रीमती सुखजीत कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह सिद्धू जाति जटसिख निवासी 22 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. गोपी राम पुत्र श्री मनी राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 19, नजदीक विश्वकर्मा दरबार, बाबा रामदेव मन्दिर रोड़, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता</u>

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री संजय जनवेजा	प्रार्थी
2. श्री गुरतेज सिंह	अप्रार्थी –1
3. पैरोकार राज	अप्रार्थी –2

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.09.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण चक 22 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के स्थाई निवासीगण है तथा काश्तकारी पेशा व्यक्ति है। वाके चक 23 एम एल पटवार हल्का लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28 / 22 के मुरब्बा नम्बर 55 का किला नम्बर 2(0.253), 3 / 1 (0.126), 4 ता 9(प्रत्येक 0.253), 14 ता 16(प्रत्येक 0.253), 18(0.253), 19 / 1(0.152), 19 / 2(0.101) कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी बारानी कृषि भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज कागजात माल है तथा इसी चक 23 एम एल के खाता संख्या 171 / 126 के [illegible] 55 का किला नम्बर 20 / 2 में 0.1670 है० रकबा प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा खरीद[illegible] [illegible] का 0.253 है0 रकबा अप्रार्थी संख्या 126 / 105 के मुरब्बा [illegible] 55 का [illegible] रास्ता से होते हुए संख्या 1 के नाम से दर्ज [illegible] माल [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि इसी अपनी भूमि किला नम्बर 20, 19 व 18 में से [illegible] उत्तरी कोना से होकर अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 17 के पश्चिम[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:10:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

किला नम्बर 14 में प्रवेश करते हैं । इस प्रकार प्रार्थीगण काफी समय से अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा चक 23 एम एल के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 17 के पश्चिमी–उत्तरी कोना की 30X30 फीट भूमि यानि 0.008 है0 भूमि को बतौर रास्ता उपयोग व उपभोग कर रहे हैं तथा इस रास्ता के एवज में क्षतिपूर्ति स्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 को नगद अदा की हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण से कहा हुआ था कि जब भी आप चाहोगे सहमति से उक्त भूमि रास्ता के रूप में दर्ज करवा दूंगा। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, पहले तो वह टाल–मटोल करता रहा, मगर अब दिनांक 30.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की तो उसने सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया है तथा प्रार्थीगण को धमकी दी है कि मैं इस रास्ता को बन्द करूंगा। यही वाद कारण है। प्रार्थीगण के पास अपने रकबा किला नम्बर 14 व इसके साथ चिपती अन्य भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है, प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने–जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने किला में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को उसके रकबा में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 23 एम एल के खाता संख्या 126/105 के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 17 के पश्चिमी–उत्तरी कोना की 30X30 फीट भूमि यानि 0.008 है० भूमि रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा उक्त रकबा को राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता अंकन करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1, द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह सही है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित 30X30 फीट भूमि को बतौर रास्ता उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण से क्षतिपूर्ति राशि नगद प्राप्त करके उक्त रास्ता छोड़ा हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में यदि उक्त रकबा को बतौर रास्ता अमल दरामद कर दिया जावे तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 आवश्यक कार्य में व्यस्त था इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ने श्रीगंगानगर आने से इन्कार किया था। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण को उनके रकबा में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 23 एम एल के खाता संख्या 126/105 के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 17 के पश्चिमी–उत्तरी कोना की 30×30 फीट भूमि यानि 0.008 है० भूमि रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में बतौर रास्ता अंकन करवाया जावे तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं होगी। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण से उक्त रास्ता की एवज में क्षतिपूर्ति राशि नगद प्राप्त हो चुकी है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट ... की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:10:59 IST
Reason: SelfAttested

Gautam

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र :— 140/2025
अनवान गुरदीप सिंह बनाम गोपीराम

— :: आदेश ::—

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत आपसी सहमति है अतः प्रकरण को आज राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251—ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने—जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 23 एम एल के खाता संख्या 126/105 के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 17 के पश्चिमी—उत्तरी कोना की 30X30 फीट भूमि यानि 0.008 है० भूमि रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा प्रतिकर की राशि पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए प्रतिकर देय नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिंनाक 13.09.2025 में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:10:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner